

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/आ0-01-44/2017 /स्वा0/पटना,दिनांक / सिविल सर्जन,
रोहतास के पत्रांक 2488 दिनांक 28.10.17 द्वारा डा0 मो0 सोहैल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलौथु के विरुद्ध आदेश की अवहेलना एवं अनधिकृत अनुपस्थिति से
संबंधित आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

2. विभागीय पत्रांक 1297(9) दिनांक 20.12.2017 द्वारा डा0 अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग
की गई। अपने स्पष्टीकरण दिनांक 30.01.19 में डा0 सोहैल अंसारी ने उल्लेख किया कि सिविल
सर्जन, रोहतास द्वारा पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर उनका
स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलौथु से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेनारी कर दिया गया,
यह स्थानांतरण अवैध था।

3. अवकाश से लौटने के उपरांत डा0 अंसारी ने उक्त स्थानांतरण आदेश को रद्द करने
का अनुरोध सिविल सर्जन, रोहतास से किया, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हाने पर उनके द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई साथ ही विभागीय शिकायत निवारण समिति
के समक्ष दिनांक 31.03.2018 को अभ्यावेदन समर्पित किया, जिसपर दिनांक 07.05.2018 को
प्रधान सचिव द्वारा सुनवाई की गई तथा सिविल सर्जन, रोहतास के आदेश ज्ञापांक 2307 दिनांक
03.10.17 के द्वारा किए गए स्थानांतरण आदेश को विभागीय आदेश ज्ञापांक 672(2) दिनांक 01.6.
18 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा डा0 अंसारी को अपने मूल पदस्थापन स्थल पर विरमित करने
का आदेश सिविल सर्जन, रोहतास को दिया गया।

4. संपूर्ण मामले के सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 सोहैल
अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलौथु, रोहतास को आरोपमुक्त किया
जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 518(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

10/5/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना/ उप सचिव, वित्त(बै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन रोहतास,
पटना/जिला पदाधिकारी रोहतास, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 मो0 सोहैल अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलौथु को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के आप्त सचिव
/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/5/19

सरकार के अवर सचिव